राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in | Phone: +91172 2584810
Email id:sec@hry.nic.in | Fax : +91 172 258 5904

नगरपरिषद्/नगरपालिका
आम चुनाव, 2022
तत्काल

क्रमांकः–एस0ई0सी0/2एम0ई0/2022/2167–2187 दिनांकः–26.05.2022

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त
(फरीदाबाद जिले को छोडकर)

विषयः– नगरपरिषदों / नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2022 में प्रयोगार्थ मतपत्रों की छपाई बारे।

....

महोदय/महोया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर दिलाते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि 46 नगरपरिषदों/ नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2022 के लिए आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक रा0नि0आ0/1एम0ई0/2022/1481, दिनांक 23.05.2022 को जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार उक्त नगरनिकाय में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आंबटन करने के पश्चात् उनकी सूची दिनांक 07.06.2022 को सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय द्वारा चस्पा की जानी है तथा मतदान दिनांक 19.06.2022 को होना है। उक्त चुनाव में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्रों की छपाई राजकीय प्रैस, हरियाणा, सैक्टर–18, चण्डीगढ़ से करवाई जानी है।

2. महापौर/प्रधान, नगरनिगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका तथा सदस्य नगरनिगम/ नगरपरिषद/नगरपालिका के मतपत्रों की छपाई के सम्बन्ध में क्रमशः हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 70च और 70ठ/हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 69च और 69ठ के तहत दिनांक 11.12.2020 (प्रति संलग्न) को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसकी प्रति आपको भेजी जा रही है। छपवाये जाने वाले मतपत्रों की भाषा हिन्दी में होगी और उनकी छपाई उक्त अधिसूचना में दी गई विधि के अनुसार की जायेगी।

3. इसके अतिरिक्त ई.वी.एम. में प्रयोग होने वाले मतपत्र सभी उम्मीदवारों के पश्चात् उपरोक्त में से कोई नहीं **(नोटा का चुनाव चिन्ह)** छपवाया जाना है, इस बारे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये। इसके अतिरिक्त यह भी वर्णित किया जाता है कि डम्मी बैलेट पेपर पर चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की नवीनतम फोटो के सन्दर्भ में आदेश क्रमांक एस.ई.सी./2एम.ई./2020/4017–4040, दिनांक 11.12.2020 को जारी किये गये थे, (जिसका साईज 2cmx 2.5cm (2cm in breadth and 2.5cm in height in colour or black & white) वर्णित आदेश में दी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये, उक्त आदेश की छाया प्रति संलग्न की जाती है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि मतपत्रों की छपाई के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 08.06.2022 को सुबह 9.00 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय पंचकुला में पहुंचने बारे निर्देशित करें। इस कार्य के लिये डम्मी बैल्ट पेपर, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची, पोलिंग बूथों की सूची आदि का विवरण **soft copy** सहित नियुक्त किये गये स्टाफ को सोंप दें तथा स्टाफ को निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि मतपत्रों की छपाई के लिये तैयार किया गया मतपत्र का मसौदा रिटरनिंग अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है तथा छपवाये जाने वाले मतपत्रों की छपाई के समस्त कार्य की जिम्मेवारी आपके कार्यालय की होगी।

भवदीय,

हस्ता/–

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

पृ.क्रमांकः– एस0ई0सी0/2एम0ई0/2022/2188 दिनांकः–26.05.2022

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि नगरनिकाय के चुनावों में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्रों की छपाई का कार्य, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना नं0 रा0नि0आ0/ 1एम0ई0/ 2022/1481, दिनांक 23.05.2022 (प्रति संलग्न) के अनुसार दिनांक 08.06.2022 से शुरू होकर दिनांक 11.06.2020 तक सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

एक प्रतिः–
स्टोर कीपर (न0पा0)

आपसे यह भी अनुरोध है कि दिनांक 09.12.2018 को रविवार होने के कारण अवकाश है, कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि दिनांक 09.12. 2018 को मतपत्रों की प्रिंटिंग का कार्य सुचारू रूप से किया जाये।